न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस.)
वाद सं. 119/2023

निर्णय दिनांक 27.7.23

सुरेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. किरण कंवर पत्नी हजारीसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर (चूरू)
2. दलीप सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर (चूरू)
3. नेमसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू
4. मगन कंवर पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर (चूरू)
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर (चूरू)
6. विक्रम सिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर (चूरू)
7. सत्यवीर सिंह पुत्र हजारीसिंह जाति राजपूत साकिन सारायण तहसील तारानगर (चूरू)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन हस्ब दफा 53 आर. टी. एक्ट सपठित धारा 5 राज. उपनिवेशक अधिनियम

उपस्थितः– 1. श्री पवन कुमार योगी , अभिभाषक वास्ते वादी
2. श्री देवकरण प्रजापत प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से
2. राज पैरोकार वास्ते प्रतिवादी सं. 8

–: निर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सक्षेंप विवरण निम्न प्रकार से है कि आराजी ख. नं. 400/21 तादादी 3.1865 हैक्टेयर, ख. नं. 402/134 तादादी 4.5522 हैक्टेयर कुल तादादी 7.7387 हैक्टेयर वाके रोही मौजा बास सारायण तथा ख. नं. 257 तादादी 2.0611 हैक्टेयर, ख. नं. 352 तादादी 1.0622 हैक्टेयर, ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर, ख. नं. 558/248 तादादी 12.9232 हैक्टेयर कुल तादादी 21.8632 हैक्टेयर वाके रोही सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है यही विवादित कृषिभूमि है। उपरोक्त आराजी में वादी अपने हिस्से की कृषिभूमि का सहखातेदार है तथा अपना हिस्सा काश्त भी करता है लेकिन खाता संयुक्त होने से पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता है जिससे वादी अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाता है इसलिए वादी अपने हिस्से का खाता अलग से विभाजित करवाकर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवाना चाहता है जिसके लिये यह खाता विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है आदि आदि इस प्रकार वादी वाद पेश कर विवादित कृषिभूमि ख. नं. 400/21 तादादी 3.1865 हैक्टेयर, ख. नं. 402/134 तादादी 4.5522 हैक्टेयर कुल तादादी 7.7387 हैक्टेयर वाके रोही मौजा बास सारायण तथा ख. नं. 257 तादादी 2.0611 हैक्टेयर, ख. नं. 352 तादादी 1.0622 हैक्टेयर, ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर, ख. नं. 558/248 तादादी 12.9232 हैक्टेयर कुल तादादी 21.8632 हैक्टेयर वाके रोही सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू में से वादी ने अपने 1/16 हिस्सा का खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है।

वाद प्रस्तुत होने पर बाद जांच दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया जिस पर वादी व प्रतिवादी सं. 2, 3, 6 व 7 स्वयं उपस्थित तथा प्रतिवादी सं. 1, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता देवकरण प्रजापत ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया प्रतिवादी सं. 8 बावजुद तामिल उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनामा दावा अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया वकील उभयपक्षकारा को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद के किसी भी पक्षकारान का पत्रावली पर कोई एतराज पेश नहीं है। वाद में

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी का वाद पुष्ट व प्रमाणित पाया जाता है। अतः वाद वादी बरूवे राजीनामा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि:–

1. कृषिभूमि रोही ग्राम सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 352 तादादी 1.0622 हैक्टेयर, ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर में से 0.6567 हैक्टेयर व ख. नं. 558/248 तादादी 12.9232 हैक्टेयर में से 3.1012 हैक्टेयर तथा रोही ग्राम बास सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 400/21 तादादी 3.1865 हैक्टेयर में से 1.5932 हैक्टेयर, ख. नं. 402/134 तादादी 4.5522 हैक्टेयर में से 0.9863 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग पीला से दर्शाया गया है दलीपसिंह, सुरेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रगण अमरसिंह, मगन कंवर पत्नी अमरसिंह के हक में ब.हि.ब रहेगी।
2. कृषिभूमि रोही ग्राम सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 257 तादादी 2.0611 हैक्टेयर, ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर में से 1.7197 हैक्टेयर व ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर में से 3.6196 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग काला से दर्शाया गया है किरण कंवर पत्नी हजारीसिंह,, सतवीरसिंह पुत्र हजारीसिंह के हक में ब.हि.ब. रहेगी।
3. कृषिभूमि रोही ग्राम सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर में से 1.7197 हैक्टेयर, ख. नं. 558/248 तादादी 12.9232 हैक्टेयर में से 3.1012 हैक्टेयर तथा रोही ग्राम बास सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 402/134 तादादी 4.5522 हैक्टेयर में से 2.5795 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है नेमसिंह पुत्र शैतानसिंह के हक व हिस्सा में रहेगी।
4. कृषिभूमि रोही ग्राम सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्टेयर में से 1.7197 हैक्टेयर, ख. नं. 558/248 तादादी 12.9232 हैक्टेयर में से 3.1012 हैक्टेयर तथा रोही ग्राम बास सारायण तहसील तारानगर ख. नं. 400/21 तादादी 3.1865 हैक्टेयर में से 1.5932 हैक्टेयर व ख. नं. 402/134 तादादी 4.5522 हैक्टेयर में से 0.9863 हैक्टेयर जिसे नक्शा में बरंग भूरा से दर्शाया गया है विक्रमसिंह पुत्र शैतानसिंह के हक व हिस्सा में रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 27.7.23 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो राजीनामा डिक्री का भाग रहे।

(सुभाष कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

नोट: आदेशिका दिनांक 11/3/25 द्वारा निर्णय के पेज नं. 2 (पैरा संख्या 1) मे खसरा नं. 555/354 तादादी 5.8167 हैक्ट. मे से अंकित रकबा 0.6567 हैक्ट के स्थान पर 0.6576 हैक्ट. चौथी पंक्ति मे खसरा नं 400/21 तादादी 3.1865 हैक्ट मे से रकबा 1.5932 हैक्ट. के स्थान पर 1.5933 हैक्ट., पेज नं. 2 (पैरा संख्या 2) मे अंकित खसरा नं 555/354 तादादी 5.8167 हैक्ट. के स्थान पर खसरा नं 558/248 तादादी 12.9232 हैक्ट. तथा पेज नं 2 के (पैरा नं 3) की तीसरी व चौथी पंक्तियों मे खसरा नं. 402/134 तादादी 4.5522 हैक्ट. मे से 2.5795 हैक्ट के स्थान पर 2.5796 हैक्ट. पढ़ा जाने का आदेश पारित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू